



यूजेवीएन लिमिटेड  
UJVN Limited  
(A Govt. of Uttarakhand Enterprise)

कारपोरेट एवं पंजीकृत कार्यालय  
Corporate & Regd. Office  
"उज्ज्वल" महारानीबाग, जी०एम०एस०रोड, देहरादून-248 006  
"Ujjwal", Maharani Bagh, GMS Road, Dehradun-248006  
दूरभाष- 0135-2763508 फ़ैक्स सं० 0135-2763507  
Phone- 0135-2763508, Fax-0135-2763507

मानव संसाधन विभाग,  
Human Resources Department.  
"यमुना भवन" यमुना कालोनी, देहरादून-248 001  
"Yamuna Bhawan", Yamuna Colony, Dehradun-248001  
दूरभाष- 2530584 / 2531343 / 2530909 फ़ैक्स सं० 0135-2531646  
Phone- 2530584/2531343/2530909, Fax-0135-2531646

संख्या : 317 / यूजेवीएन लि / 05 / औ०सं० / एम-4

दिनांक 13-02-15

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा, यूजेवीएन लिमिटेड के कार्यालय ज्ञापन संख्या 8527 / यूजेवीएन लि / 05 / कार्मिक / अनु०-3 / एम-4 दिनांक 13.05.2011 के अनुक्रम में श्री महन्त इन्द्रेश अस्पताल, पटेल नगर, देहरादून को यूजेवीएन लिमिटेड के सेवारत / सेवानिवृत्त कार्मिक एवं उन पर पूर्णतया आश्रित परिजन तथा पूर्ववर्ती उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद / उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० / उ०प्र० जल विद्युत निगम लि० के वे सेवानिवृत्त कार्मिक जो यूजेवीएन लिमिटेड में आमेलित हैं एवं सेवारत / सेवानिवृत्त कार्मिक की मृत्यु की अवस्था में उसकी आश्रित पत्नी (पारिवारिक पेंशनर) को चिकित्सालय में नियमानुसार भर्ती एवं बाह्य रोगी की हैसियत से कराये जाने वाले उपचार पर हुए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु स्थाई रूप से अग्रेतर मान्यता प्रदान की जाती हैं।

- उक्त चिकित्सालय विभिन्न उपचारों हेतु समय समय पर लागू एवं प्रभावी दरों पर पूर्व की भांति केवल उपचारों एवं परीक्षणों (Procedure & Investigation only) पर 10 (दस) प्रतिशत की छूट प्रदान करते हुए सम्बन्धित कर्मचारी / अधिकारी से सीधे भुगतान प्राप्त करेगा। पैकेज डील पर चिकित्सालय द्वारा कोई छूट प्रदान नहीं की जायेगी। इसके अतिरिक्त अन्य कोई व्यय देय नहीं होगा।
- उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के आदेश सं० 4452-ओस-17 / पाकालि / 2002-11(11)एफ / 80 दिनांक 09.12.2002 के किसी / किन्ही प्राविधान / प्राविधानों का उल्लंघन की स्थिति में चिकित्सालय की मान्यता निम्न बिन्दुओं पर कभी भी समाप्त की जा सकती है:-
  - यदि अस्पताल पुलिस केस में, कन्ज्यूमर फोरम में अथवा न्यायालय द्वारा दण्डित किया जाता है, तो उसकी मान्यता तुरन्त समाप्त कर दी जायेगी।
  - यदि अस्पताल के विरुद्ध मरीजों द्वारा लापरवाही या असहयोग की शिकायत आती है या यूजेवीएन लि० द्वारा किसी अन्य कारणवश ऐसा निर्णय लिया जाता है, तो उसकी मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।
- उपरोक्त संदर्भित आदेशों की शेष शर्तें यथावत रहेगी।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या 317 / यूजेवीएन लि / 05 / औ०सं० / एम-4, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- निजी सचिव, अध्यक्ष, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून
- निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून
- निदेशक (परिचालन) / (परियोजनाएं) / (वित्त) / (मा०सं०), यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून
- अधिशाली निदेशक (जानपद) / (वि० / या०) / (वित्त) / (मा०सं०), यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून
- समस्त महाप्रबन्धक, यूजेवीएन लिमिटेड को इस अनुरोध के साथ कि कृपया अपने अधीनस्थ कार्यालयों को इस आदेश की प्रति अपने स्तर से प्रेषित करने का कष्ट करें।
- कम्पनी सचिव, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून
- समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी, यूजेवीएन लिमिटेड
- वरिष्ठ विधि अधिकारी, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून
- वरिष्ठ प्रबन्धक (आई०टी०), यूजेवीएन लिमिटेड देहरादून को निगम की वैबसाइट पर "चिकित्सालयों की मान्यता शीर्षक के अन्तर्गत" अपलोड करने हेतु।
- चिकित्सा अधीक्षक, श्री महन्त इन्द्रेश अस्पताल, पटेल नगर, देहरादून
- अध्यक्ष, विद्युत पेंशनर्स परिषद-उत्तराखंड, 21-फील्ड होस्टल, उर्जा भवन, कांवली रोड, देहरादून
- महामंत्री, विद्युत पेंशनर्स कल्याण समिति, फतेहपुर रोड, हरबर्टपुर (देहरादून)

Shri Raajit Kantiyal - ABEZ

For m.a.p.l.  
13/2/15

(राजेन्द्र सिंह)  
उपमहाप्रबन्धक (औ०सं०)